राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2990/2024

सुरेन्द्र सिंह कृष्णिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, गृह विभाग (ग्रुप–1), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, गृह विभाग (पुलिस), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2024

आदेश की दिनांक : 07.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त टेलर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कंट्रोल रूम, आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर आरपीएस वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावें।

अपीलार्थी ने उक्त अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पुलिस उप अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रिव्यू डीपीसी कमेटी रिपोर्ट दिनांक 28.03.2024 के द्वारा पदोन्नत नहीं करने पर और कोई कार्यवाही नहीं करते हुये तथा अभ्यावेदन दिनांक 29.06.2024 के संबंध में कोई निर्णय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 01.11.1991 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी को एक परिनिंदा के दण्ड के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इनकार किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2024 एवं परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जिसमें परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पदोन्नति को रोकना उचित नहीं माना है और इस प्रकार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.06.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर आरपीएस वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कंट्रोल रूम, आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को एक परिनिंदा के दण्ड के आधार पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध पुलिस उप अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड के आधार पर व परिनिंदा दण्ड के आधार पर कर्मचारी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति से ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या

20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.*
>
> *45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30.05.2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27.12.2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26.10.2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.*
>
> *46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."*

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी की पदोन्नति एक परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध रोकी गई है तो उक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों के अनुसार यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष